13/05/2026

–प्रकरण प्रस्तुत।

–प्रकरण का अवलोकन किया।

– आवेदक सीताराम लहरे पिता गुहाराम, जाति–सतनामी, निवासी– दादरखुर्द, तहसील व जिला– कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम–दादरखुर्द, प.ह.नं.–21, तहसील– कोरबा में ख.नं.– 340/2 रकबा 0.1770 हे. भूमि स्थित है। जिस पर सागौन के 100 वृक्ष रोपित किया गया है। आवेदक उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

– कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डल कोरबा, छ.ग. के पत्र कमाक/राजस्व /7452 कोरबा, दिनांक 24/12/2025 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल आवेदक द्वारा रोपित कुल 102 नग सागौन वृक्ष स्थित है। सघन होने के कारण उक्त 102 नग सागौन वृक्षों की कटाई करने हेतु प्ररूप–घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

–छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

–छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:–

(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,
(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,
(घ) वन महोत्सव कार्यक्रम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा
(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा
(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा.एवं न ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।

– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।

नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 1959 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिंसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।

– छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

– भूमिस्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में कृषि

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते मे निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल 100 नग रोपित सागौन वृक्षों की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

– यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

–संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला कोरबा (छ.ग.)

प्रकरण पत्र

1570
19/5/26

प्ररूप–ड़
(नियम 7(2) देखिये)
अनुमति

प्रति,

सीताराम लहरे पिता गुहाराम,
निवासी– दादरखुर्द, प.ह.नं.–21
तहसील व जिला.–कोरबा, छ.ग.

विषयः– 100 नग रोपित सागौन वृक्ष को काटने की अनुमति बाबत्।

---000---

आवेदक सीताराम लहरे पिता गुहाराम, जाति–सतनामी, निवासी– दादरखुर्द, तहसील व जिला– कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम–दादरखुर्द, प.ह.नं.–21, तहसील– कोरबा में ख.नं.– 340/2 रकबा 0.1770 हे. भूमि स्थित है। जिस पर सागौन के 100 वृक्ष रोपित किया गया है। आवेदक उक्त वृक्षों को काटने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कोरबा, वनमण्डल कोरबा, छ.ग. के पत्र कमाक/राजस्व /7452 कोरबा, दिनांक 24/12/2025 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल आवेदक द्वारा रोपित कुल 102 नग सागौन वृक्ष स्थित है। सघन होने के कारण उक्त 102 नग सागौन वृक्षों की कटाई करने हेतु प्ररूप–घ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुई है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ~~ग्राम –कोरबा,~~ आवेदक सीताराम लहरे, स्थित कुल 100 नग सागौन वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाती है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

//2//

आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।

उपरोक्तानुसार पालन करने की स्थिति में कुल– 100 नग सागौन वृक्षों की विदोहन की अनुमति दी जाती है।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभाग–कोरबा

कोरबा, दिनांक 19/05/2026

पृ.क्र. 1571 /अ.वि.अ./वाचक/2026

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा।
2. वनमण्डलाधिकारी, वन परिक्षेत्र कोरबा, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार –कोरबा को वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व)
अनुविभाग–कोरबा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा (छत्तीसगढ़)